

समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश

श्री गंगा सागर शर्मा, पिता- स्व० रामनन्दन सिंह, ग्राम-वैना, थाना- घोषी वर्तमान विमला आवास थाना रोड, जिला- जहानाबाद द्वारा एक आवेदन समर्पित करते हुए अनुज्ञप्ति सं०- 990/1634 नगर थाना- मुजफ्फरपुर (F.R No-203/JEHANABAD) को वृद्धावस्था के कारण रद्द करने तथा धारित डी०बी०बी०एल बन्दूक सं०- 2631-C/9 को जहानाबाद गन हाउस में जमा करने का अनुरोध किया है।

अतः शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) में निहित प्रावधान के तहत श्री गंगा सागर शर्मा, पिता- स्व० रामनन्दन सिंह, ग्राम-वैना, थाना- घोषी जिला- जहानाबाद के अनुज्ञप्ति सं०- 990/1634-नगर थाना- मुजफ्फरपुर (F.R No-203/JEHANABAD) को रद्द करते हुए धारित डी०बी०बी०एल बन्दूक सं०- 2631-C/9 को जहानाबाद गन हाउस में जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद के ज्ञापांक-79/शस्त्र दिनांक-16/01/2015 द्वारा F.R पंजी की सूची से उक्त अनुज्ञप्ति को विलोपित कर दिया गया है।

जिला दंडाधिकारी का आदेश दि०-04/06/2015 संचिका सं०- IX-11/2015)

201
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांक-.....206...../शस्त्र, जहानाबाद दि०-23-06-2015

- प्रतिलिपि :- सभी जिला दंडाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद/ मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, घोषी को सूचनार्थ प्रेषित। एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- मेसर्स जहानाबाद गन हाउस, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- श्री गंगा सागर शर्मा, पिता- स्व० रामनन्दन सिंह, ग्राम-वैना, थाना- घोषी जिला- जहानाबाद वर्तमान विमला आवास थाना रोड, जिला-जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुज्ञप्ति की मूल प्रति जिला शस्त्र शाखा को प्रत्यर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि :- सूचना तकनीकी प्रबंधक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- एक प्रति रक्षी संचिका में।

4/20/6/15
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।